eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

घरेलू हिंसा, मानवाधिकार एवं भारतीय कानून

डा० स्वाती सक्सेना[1], शिव शंकर[2]
[1]प्रभारी, शिक्षाशास्त्र विभाग, डी0जी0 पी0जी0 कालेज कानपुर उ0प्र0
[1]शोध छात्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

Received: 15 July 2024 Accepted & Reviewed: 25 July 2024, Published : 31 July 2024

Abstract

आधुनिक समाज में मानवाधिकार घरेलू हिंसा एवं परिवार न्यायालय कानून और सामाजिक संवेदनशीलता पर आधारित विचारों का अध्ययन किया गया है, महिलाओं और पुरुषों के बीच प्राकृतिक रूप से तो कोई अंतर नहीं है लेकिन फिर भी सामाजिक लिंग भेद आज की सच्चाई है नगर, गांव ,कस्बा, हर जगह, हर समाज में लिंगी आधार पर भेदभाव किया जाता है, पितृसात्मक समाज में पुरुषों को आज भी सबसे अधिक महत्व दिया जाता है , आज के समय में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है तथा एकांकी परिवार की अधिकता होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक कारण तथा घरेलू हिंसा है।

कीवर्ड– आधुनिक समाज, घरेलू हिंसा, मानवाधिकार, भारतीय कानून

Introduction

भारतीय संविधान में व्यक्ति के मानवाधिकारों का जिक्र किया गया है साथ ही भारतीय विधि में भी मानवाधिकारों को पर्याप्त स्थान दिया गया है विधि का निर्माण विधायिका अर्थात संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है जब किसी विषय पर कोई कानून बनाना होता है तो उसके संबंध में एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है जहां विभिन्न जनप्रतिनिधि इस विधेयक के विभिन्न पदों पर चर्चा करते हैं विधेयक पर चर्चा करते है विधेयक पर चर्चा करते समय हमारे जनप्रतिनिधि उस विधेयक के मानवीय पक्ष को भी देखते हैं वह देखते हैं कि उस विधेयक के कानून पर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन तो नहीं होगा संविधान की प्रस्तावना भाग 3 भाग 4 और भाग 4 (क) के अलावा उसके अनुच्छेद 226, 300 क, 325 , 326 आदि में मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सन– 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया जा चुका है।

महिलाओं के मानवाधिकारों को आज विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है विश्व स्तर पर अनेकों ऐसे नियम कानून और आचार संहिताएं हैं जो मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित हैं यह एक प्रमाणित तत्व है कि दुनिया में सबसे अधिक अपराध और अत्याचार महिलाओं पर ही होते हैं इस परिपेक्ष में महिलाओं के मानवाधिकार काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं महिलाओं को आमतौर पर अपराध की दृष्टि से बेहद आसान लक्ष्य माना जाता है इसलिए महिलाओं के विरुद्ध दुनिया भर में अपराध बढ़ रहे हैं चाहे घर हो या बाहर स्कूल हो या कार्य स्थल, महिलाओं को हर जगह विभिन्न प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता है

महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समय–समय पर काफी प्रयास किए हैं–

महिलाओं के अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन उनके सात लिङ्गीय भेदभाव करके किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर एक घोषणा पत्र 7 दिसंबर सन

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

1967 को जारी किया गया इस घोषणा पत्र की प्रस्तावना में ही कहा गया था कि जहां महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा मानवाधिकारों तथा दूसरे दस्तावेजों अंतरराष्ट्रीय संविदा तथा अधिकारों की समानता के मामले में की गई उन्नत के पश्चात भी बना हुआ है वहां यह लिंग पर आधारित भेदभाव की समाज तथा पुरुषों एवं महिलाओं को अधिकारों की समता के साथ को प्राप्त करने हेतु जरूरी बन गया है।

महिलाओं की समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया ताकि स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त हो सके।

इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने महिलाओं व पुरुषों के बीच क्षमता स्थापित करने के लिए प्रयास से संबंधित संकल्प 18 दिसंबर 1972 को पास किया गया था इस संकल्प में कहा गया था कि सभी सदस्य देश तथा संगठनों को महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर घोषणा के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के पूर्ण तथा उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे।

हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं इनमें से कुछ मानवाधिकार तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही है संविधान में महिलाओं को कुछ अधिकार तो मूल अधिकार के रूप में दिए हैं तो दूसरी ओर महिलाओं की बेहतरी और उनके समग्र विकास के लिए संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो राज्य के लिए बाध्यकारी तो नहीं है लेकिन उनसे राज्य को एक दिशा तो मिलती ही है संविधान में स्त्रियों के लिए और भी बहुत से प्रावधान किए गए हैं।

महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो निम्न है–

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
- मजदूरी भुगतान अधिनियम
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- कामगार दुर्घटना मुआवजा अधिनियम
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961
- बाल मजदूरी निषेध अधिनियम
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
- हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948– इस कानून के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए कानून के मुताबिक प्रत्येक कामगार को सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाना चाहिए ताकि वह आराम कर सके इसके अलावा मजदूर को मजदूरी नगद दी जानी चाहिए।

मजदूरी भुगतान अधिनियम– महिलाओं के लिए यह कानून भी अत्यआवश्यक है इस कानून के मुताबिक मजदूरी प्रतिदिन प्रति घंटे या प्रतिमाह के आधार पर दी जा सकती है कानून के मुताबिक किसी महिला से चलती मशीन को साफ करवाना या उसमें तेल लगवाना प्रतिबंधित है महिलाओं से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा तो काम लिया ही नहीं जा सकता साथ ही उनसे किसी कारखाने में काम के घंटे के बाद भी काम नहीं लिया जा सकता।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976– यह कानून लिंगी असमानता का पूरी तरह से निषेध करता है इस अधिनियम के मुताबिक महिला और पुरुष को एक ही तरह के काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961– गर्भवती महिला को गर्भधारण करने और प्रस्ताव के बाद कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए इन्हें प्रसूति प्रसुविधा कहा जाता है प्रसव प्रसूति के बाद भी उसे पूरे वेतन पर 6 हफ्ते का अवकाश मिलेगा इस प्रकार एक प्रसव पर महिला कामगार को कुल 12 हफ्ते का अवकाश पूरे वेतन पर मिलेगा।

बाल मजदूरी निषेध अधिनियम– हमारे देश में लाखों बच्चे मजदूरी का काम करते हैं इनमें बालकों के साथ बालिकाओं की भी एक बड़ी संख्या है कानून के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है इन अपराधों में सबसे प्रमुख बालिकाओं को घर में बाल मजदूरी अत्यधिक कराई जाती है अतः इस अधिनियम से बालिकाओं पर अत्याचार कम हुए हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961– सन 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दहेज को एक सामाजिक समस्या तथा मानव मात्र पर एक कलंक मानते हुए एक कानून पारित कराया ,जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 नाम दिया गया, जिसके द्वारा दहेज जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई इस अधिनियम के महत्व को ध्यान में रखते हुए कई कमियाँ एवं खामियां पाई जाने पर इस कानून में समय–समय पर संशोधन किए गए एवं इसे आवश्यकता अनुसार कठोर भी बनाया गया।

सन 1986 में पारित संशोधन अधिनियम द्वारा सजा से संबंधित प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है। स्पष्ट है कि संविधान और कानून में महिलाओं को काफी अधिकार संपन्न बनाया है जरूरत है तो बस अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक होने की।

कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानून लागू होने के पश्चात भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं आज भी कन्या भ्रूण हत्या अपने चरम पर है स्पष्ट है की मात्र कानून बना देने से ही यह अनैतिक काम नहीं रुक सकता जरूरत है इसके खिलाफ समाज में चेतना जागृत करने आज दुनिया भर में इस तथ्य को माना जाता है कि स्त्रियों की क्षमताएं पुरुषों के बराबर ही है और वह किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं है इस सबके बावजूद अगर कन्याओं की भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है तो मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है।

इस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाया जाए हमें समझ लेना चाहिए कि वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें बालिकाओं को जन्म तक लेने का अधिकार न हो।

महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है विभिन्न प्रकार का उत्पीड़न दुर्भाग्य की बात है की औरतों को घर के बाहर के साथ–साथ घर के भीतर भी यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी हमारे कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की आचार संहिता भी अस्तित्व में है भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है इन सब के बावजूद अगर महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के खूब मामले सामने आते हैं तो दोष हमारी व्यवस्था का भी है इसके अलावा महिलाओं में अपने मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने की भी जरूरत है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

भारत में महिलाओं के विकास के लिए काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहे हैं लेकिन नतीजा वही "डाक के तीन पात हैं, महिलाओं की स्थिति पर आयोग की सबसे पहले स्थापना सन 1946 में की गई थी यह आयोग महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध करता है सन 1981 और 1999 के समय में कहा गया कि लैंगिक भेदभाव एवं शोषण एवं अन्य दुरुपयोग से पीड़ित महिलाओं को हर कीमत पर सक्षम बनाया जाना चाहिए मानवाधिकारों की सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, इसके अलावा एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी की गई है इन दो आयोगो के गठन के बाद भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति में काफी सुधार आया है।

सरकार द्वारा बनाए गए कानून अधिकांश महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालते भारी भरकम कानून के होते हुए भी महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है वह सड़क और कार्यालय में तो असुरक्षित हैं ही, घर पर भी उन्हें पति के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, एवं घरेलू हिंसा अपने चरम पर पहुंच जाती है।

पिछले दिनों हुए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि दो तिहाई महिलाएं आज भी पति की मार खाती हैं, आज की महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। हमें प्रतिदिन अखबारों एवं समाचार में सुनने को मिल ही जाता है महिलाएं हमारी आबादी की लगभग आधा हिस्सा है यह आधी दुनिया और आधी आबादी भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है।

भारतीय कानून प्रत्येक महिला को संपत्ति का भी अधिकार देता है प्रत्येक महिला को अपने नाम से संपत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है महिला अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छा के मुताबिक कर सकती है फिर चाहे यह संपत्ति उत्तराधिकार में मिली हो या इसका अर्जुन उसने स्वयं किया प्रत्येक महिला को अधिकार है कि अपनी कमाई के धन को व स्वयं ले और उसे अपने तरीके से खर्च करें नए कानून ने महिलाओं को उत्तराधिकार में भी बराबर का हकदार बना दिया है। अब प्रत्येक महिला को उसकी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है।

इसे हमारे संविधान निर्माता की दूरदर्शिता ही कहा जाएगा कि उन्होंने महिलाओं के मूल अधिकारों के सरक्षण के लिए–बहुत से प्रावधान संविधान में किया इसके बाद समय–समय पर और भी कई अधिनियम पारित कर हमारी संसद में महिलाओं के मानवाधिकारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किए हैं।

महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें, पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए लिङ्गीय समानता के अधिकार का सिद्धांत सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा में सम्मिलित किया जा चुका है इसके अलावा अन्य दस्तावेजों सम्मेलनों आदि में भी स्त्री पुरुष समानता की बात कही गई है।

इन सभी अधिकारों एवं अधिनियम के बावजूद भी आज घरेलू हिंसा एवं स्त्रियों पर अपराध में अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिसका मुख्य कारण अशिक्षा और समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं आज भी जहां अशिक्षा है वहां पुरानी परंपराओं एवं कुरीतियां से समाज में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती है एवं समाज में स्त्रियों को एक घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा जाता है। जिससे स्त्रियों को अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं हो पाता हैं

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 07, July 2024

अतः स्त्रियों के अत्याचार एवं घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए पहले हमें उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा तथा समाज में ब्याप्त कुरीतियों को कम करने के लिए समाज में जागरूकता एवं स्त्रियों की शिक्षा पर अत्यधिक बल देना होगा।

संदर्भ–

1. मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार, डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह तोमर पृष्ठ संख्या 35
2. माथुर यस यस, समाज मनोविज्ञान
3. भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार एवं कानून
4. मानवाधिकार और बाल शोषण , डा. पुष्पलता तनेजा. पृष्ठ संख्या 36,42,50,
5. पुलिस और मानवाधिकार. बी. एल . वोहरा.
6. भारतीय संविधान में मानव अधिकार और संरक्षण. आर. डी. शर्मा
7. समाज में बढ़ता अपराधिकरण. डा. अंजू शुक्ला एवं डा. रश्मी पांडे .
8. मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार ; डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह तोमर पृष्ठ संख्या55
9. मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार ; डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह तोमर पृष्ठ संख्या 40
10. मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार ; डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह तोमर पृष्ठ संख्या 45